

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मंगलवार परेड/पुलिस लाइन का निरीक्षण कर दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश ।

आज दिनांक 19.09.2023 को मंगलवार की परेड के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में सर्वप्रथम परेड मान-प्रणाम ग्रहण करते हुए उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की परेड का निरीक्षण किया गया । सभी मौजूद अधिकारी/कर्मचारियों को ड्यूटी पर साफ-सुथरी वर्दी धारण करने, पुलिस विभाग की गरिमा बनाये रखने तथा जनता की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनकर निष्पक्ष व त्वरित कार्यवाही करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश व हिदायतें भी दी गयीं।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा साप्ताहिक अर्दली रुम किया गया जिसमें सभी गार्ड कमांडरों के साथ पुलिस लाइन अवस्थित समस्त शाखाओं/गार्डों के रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अवलोकन कर अभिलेखों को अद्यावधिक किये जाने के निर्देश दिये गये साथ ही ड्यूटी के दौरान लापरवाही किये जाने वाले सम्बन्धित पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम कर उनको सख्त हिदायत दी गयी तथा ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि का अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात महोदय द्वारा भोजनालय, बैरिक, आवासीय परिसर, शस्त्रागार, स्टोर, कैश कार्यालय, कैंटीन आदि का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 18 क्वार्टर अवैध देशी

शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 18.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी मय हमराह उ.नि. रावेन्द्र कुमार पाण्डेय व का. जयदीप पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम बमरारा थाना चरखारी क्षेत्र से 18 क्वार्टर अवैध देशी शराब की बरामदगी करते हुए 01 नफर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामशरण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया; गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 186/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 मधुरेश त्रिपाठी
2. उ.नि. रावेन्द्र कुमार पाण्डेय
3. का. जयदीप पटेल, थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

अनिल कुमार पुत्र रामशरण उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बमरारा थाना चरखारी जनपद महोबा।

विवरण बरामदगी:- 18 क्वार्टर देशी शराब (ब्राण्ड दिल से) नाजायज



जनपदीय साइबर सेल की पुलिस टीम ने थाना कुलपहाड़ महोबा क्षेत्रअन्तर्गत विद्यालय में भ्रमण कर छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, वितरित किये जागरूकता पम्पलेट्स- साइबर अपराध से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा की पहल पर चलाया जा रहा है- “ऑपरेशन ज्ञान कवच”-

बढते हुये साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा की पहल पर साइबर अपराध से बचाव हेतु अभियान “ऑपरेशन ज्ञान कवच” चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ज्ञान कवच अभियान के तहत आज दिनांक 19.09.2023 को श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल पुलिस टीम क्रमशः कां. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कां. सत्यम सिंह, कां. सुरजीत कुमार व थाना कुलपहाड़ में नियुक्त उ.नि. हरिभजन गौतम, कां. अभिषेक द्वारा थाना कुलपहाड़ महोबा क्षेत्रअन्तर्गत जी.बी. इस्लामिया इण्टर कालेज, कुलपहाड़ में भ्रमण कर “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के अन्तर्गत साइबर जागरूकता चौपाल का आयोजन कर विद्यालय के सम्बन्धित छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के साथ संवाद कर साइबर अपराध एवं उनकी रोकथाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर साइबर जागरूकता पम्पलेट्स वितरित की गईं।

श्री रवि कुमार सिंह, प्रभारी साइबर/सर्विलांस सेल ने “ऑपरेशन ज्ञान कवच” अभियान के तहत साइबर अपराध से बचाव के तरीके में बताया कि किस तरीके से साइबर ठग एटीएम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड/यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन लॉटरी/ईनाम, शॉपिंग ऐप्स, गूगल सर्च में थोड़ी सी चूक पर गलत वेबसाइट में क्लिक हो जाने, एनीडेस्क क्विक सपोर्ट जैसे रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर भेजे गये लिंक के माध्यम से साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, शेयरचैट व व्हाट्सएप से संबंधित होने वाले विभिन्न अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी इनके बचाव के तरीकों को बताया गया साथ ही इस संबंध में उनसे अपील की गई कि अपने पारिवारिक जनों

व पास-पड़ोस के लोगों को भी साइबर अपराध के तरीकों व इनसे बचाव के तरीकों के संबंध में जागरूक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ रहे साइबर अपराध से बचाया जा सके।

यदि किसी के साथ वित्तीय साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत www.cybercrime.gov.in/ साइबर सेल /संबंधित थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि शीघ्र कार्यवाही कर आपकी मदद की जा सके।



**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर महिला सशक्तिकरण
अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को महिला
अधिकारों/महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में किया जा रहा है जागरूक-**

महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु उ.प्र. शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को अवगत कराए जाने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 19.09.2023 को महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे “मिशन शक्ति अभियान” के अंतर्गत जनपद के थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी (शक्ति दीदी) द्वारा सम्बन्धित बीट क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चौपाल लगाकर शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे-शक्ति मोबाइल, महिला हेल्पडेस्क, महिला साइबर सेल, मातृत्व को सम्बल, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मातृ वंदना योजना आदि के साथ-साथ महिला अपराध से सम्बन्धित धाराओं एवं उनकी प्रक्रिया, विभिन्न हेल्पलाइन नं. (112,1090,181,108,1076,1098) इत्यादि की जानकारी से जागरूक किया जा रहा है साथ ही साथ क्षेत्र की सम्प्रान्त महिलाओं, आशा बहुओं, ए0एन0एम0, शिक्षामित्र, आंगनवाणी कार्यकर्त्री का व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर उनसे निरंतर संवाद बनाये रखते हुये क्षेत्र की पीडित महिलाओं/बालिकाओं की समस्याओं का शतप्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।



थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा

कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं उनके निर्माण में प्रभावी रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.09.2023 को श्री शशि कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर अवैध तमंचा/जिन्दा कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त पूरन ढीमर पुत्र हलकुट्टा (उम्र करीब 21 वर्ष) निवासी ग्राम रावतटोला थाना मझगवाँ जिला हमीरपुर को हिरासत में लिया गया; अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा **315** बोर 01 अदद जिन्दा कारतूस **315** बोर बरामद हुआ, अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी में मु.अ.सं. 164/2023 धारा 3/25 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. का0 आर्यन सिंह थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

पूरन ढीमर पुत्र हलकुट्टा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रावतटोला थाना मझगवाँ जिला हमीरपुर।



महोबा पुलिस